



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)

: क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद :

“भविष्य निधि भवन”, आर.बी.आई. बिल्डींग के पास,
ईन्कम टेक्ष, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014

प्रिय नियोक्ता / कर्मचारी,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए “ई-पेमेन्ट पद्धति” की शुरुआत कर रहा है। ‘ई-पेमेन्ट’ के माध्यम से सदस्य की धनराशि, जहां लागू हो वहां तुरन्त उनके बैंक खाते में जमा हो सकेगी।

अंशदाताओं को ‘ई-पेमेन्ट’ की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सदस्य की बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा सदस्य का रद्द किया गया चैक जिसमें उनका नाम एवं बैंक खाता संख्या दिया गया हो, संलग्न किया जाए। यदि उपलब्ध हो तो सदस्य का मोबाईल नम्बर दावा प्रपत्र पर लिखा जाए, जिससे उसे एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा राशि जमा होने की जानकारी दी जा सके। कृपया ध्यान रखें कि ई-पेमेन्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए दावा-प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की प्रस्तुति अनिवार्य है।

आपकी मदद हेतु हमारी मदद करें।

एस. भट्टाचार्य

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour, Government of India)

Regional Office, Ahmedabad :

‘Bhavishya Nidhi Bhavan’, Nr. New RBI Building,
Income Tax Circle, Ashram Road, Ahmedabad-380 014.

Dear Employer / Employee

With an endeavor to improve services, EPFO has introduced “**e-payment system**”. The e-payment system will enable credit of member's money to his bank account speedily, wherever applicable.

To enable extension of e-payment services to the subscribers, you are requested to enclose attested copy of the first page of member's bank pass book or cancelled cheque carrying details of name and account number of the member. Also the mobile number of member, if available, to be mentioned on the claim form, so that credit information through SMS alerts can be sent. Please remember that submission of documents with claim form is mandatory for availing e-payment facilities.

Help us to Help you.

S. Bhattacharjee
Regional P. F. Commissioner-I